कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Phone/Fax no:-01368-222215

पत्रॉकः– 3354 /12-1 : दिनॉकः पौड़ी, माह, अप्रैल,....16..... 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

प्रस्ताव सं0– **FP/UK/ROAD/45296/2020**

विषय– **जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119/534 किमी0 196.00 से 276.00 सतपुली–श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 32.553 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रा0रा0, लो0नि0वि0, श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून की पत्र सं0 2061/FP/UK/ROAD/45296/2020 दिनॉक 25–02–2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत करना है कि प्रस्ताव में लगाई गई आत्तियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग तथा इस वन प्रभाग द्वारा ऑन लाईन निराकरण निम्न प्रकार से कर दिया गया हैः–

क. सं.	प्रश्न	उत्तरालेख
1	प्रस्ताव में ऑनलाईन अपलोड Authority Letter में अधिशासी अभियन्ता को वन भूमि हस्तान्तरण कार्य हेतु नामित किया गया है, जबकि ऑनलाईन Part-I के पैरा A-3 में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु कपिल सिंह, सहायक अभियन्ता का नाम अंकित किया गया है। कृया सही Authority Letter प्रस्ताव में अपलोड करें एवं प्रस्ताव में भी संलग्न करें।	बिन्दु सं0–1 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा Part-I के पैरा A-3 में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु नवनीत पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता का नाम अंकित कर सही कर दिया गया है। **(संलग्नक–1)**
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–I (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले) में भी सभी सूचनाऐ पूर्ण रूप से भरी जाये।	बिन्दु सं0–2 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग –I में भी सभी सूचनाऐं पूर्ण से भर दी गई है। **(संलग्नक–2)**
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–II में प्रभावित बांज वृक्षों की संख्या–199 अंकित की गई है, जबकि प्रपत्र भाग– III (वन संरक्षक द्वारा भरे गये) में प्रभावित बांज वृक्षों की संख्या–200 अंकित है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	बिन्दु सं0–3 के अनुपालन में स्पष्ट करना है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित पार्ट ।। में बॉज वृक्षों की संख्या 199 अंकित की गई तथा निर्धारित पार्ट ।।। में वन संरक्षक महोदय गढ़वाल वृत्त द्वारा 199 वृक्ष बांज के साथ 01 वृक्ष मणिपुरी बांज भी सम्मिलित किया गया है जिसके कारण प्रपत्र ।।। में बांज वृक्षों की कुल संख्या 200 अंकित हो रही है।
4	प्रस्ताव में संलग्न बार–चार्ट स्पष्ट नहीं है, प्रस्तावित मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है। अतः पूर्व निर्मित मार्ग की (चौड़ाई अंकित करते हुये) प्रस्तावित परियोजना को भी बार–चार्ट में दर्शाया जाये एवं प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को निर्धारित रंगो से बार–चार्ट में दर्शाया जाये।	बिन्दु सं0–4 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित बार चार्ट तैयार कर ऑन लाई अपलोड कर दिया गया है तथा हार्ड प्रतियों में इस कार्यालय को भी प्रेषित किया गया है। जिसे संलग्न कर आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
5	प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषय सूची तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न की जाये।	बिन्दु सं0–5 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्रांक 368/02सी0, दिनॉक 11.04.2022 से इस कार्यालय को अवगत कराया है कि उनके द्वारा दिनॉक 05.04.2022 को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून के कार्यालय में जाकर पृष्ठ संख्या अंकित करा दी गई है। **(संलग्नक–4)**

6	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 23.2 जो कि वन अधिकार अधिनियम् 2006 से सम्बन्धित है में उपखण्ड स्तरीय प्रमाण–पत्र में दिनॉक 29.07.2015 अंकित की गई है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न ग्राम सभाओं की बैठक में वर्ष 2016–17 अंकित किया गया है। उपखण्ड स्तरीय प्रमाण–पत्र में तिथि ग्राम सभाओ की बैठक की तिथि बाद में अंकित की जाती है, स्थिति स्पष्ट करें। वन अधिकार से सम्बन्धित समस्त प्रमाण–पत्रों/प्रपत्रों में निर्धारित स्थान पर दिनॉक एवं तिथि अंकित की जाये।	बिन्दु सं0–6 के कम में प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्रांक 368/02सी0 दिनॉक 11–04–2022 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि प्रारूप–23.2 जो कि वन अधिकार अधिनियम् 2006 से सम्बन्धित है मे उपखण्ड स्तरीय प्रमाण–पत्र पूर्व मे दिनॉक 29.07.2015 का सलग्न है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मलवा निस्तारण हेतु वन भूमि सम्मिलित नही की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम गाईडलाईन्स के अनुसार मलवा निस्तारण हेतु भूमि भी वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे सम्मिलित की जानी थी। अतः मलवा निस्तारण हेतु भूमि चिन्हित कर कुल 32.553 है0 हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का संशोधित प्रस्ताव वर्ष 2016–17 में गठित किया गया। जिस हेतु पुनः वन अधिकार अधिनियम् 2006 हेतु बैठकें (ग्राम सभा, उपखण्ड स्तरीय एवं खण्ड स्तरीय) की गई और जिसका कार्य वृत्त प्रस्ताव में सलग्न किया गया है। इस प्रकार वन अधिकार अधिनियम् 2006 की कार्यवाही हेतु वर्ष 2016–17 में हुई बैठकों का कार्यवृत्त ही अन्तिम रूप से नहीं है जिसको प्रस्ताव में निर्धारित स्थान पर संलग्न कर ऑनलाईन रूप से अपलोड कर दिया गया है। वर्ष 2015 में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित हुई बैठकें वैध्य नहीं है।
7	वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र पूर्ण रूप से ऑनलाईन अपलोड नहीं किये गये हैं। कृपय VLC एवं SDLC की मीटिंग के मिनट्स सहित पूर्ण FRA प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में अपलोड किया जाये।	बिन्दु सं0–7 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा VLC एवं SDCL की मीटिंग के मिनट्स सहित पूर्ण FRA पार्ट–I के पैरा K के (a) में संशोधित कर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक–5)
8	वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले प्रमाण–पत्र भाग – III व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–II में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–2406 अंकित की गई है, जबकि प्रस्ताव में वृक्षों के पातन से सम्बन्धित अन्य प्रमाण–पत्रों में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या कुल 2743 अंकित की गई है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	बिन्दु सं0–8 के अनुपालन में अवगत करना प्रस्तावित मोटर मार्ग में आरक्षित, सिविल एवं वन पंचायत में कुल 2406 वृक्ष प्रभावित होगें तथा इसके अतिरिक्त 337 वृक्ष नापखेत में भी प्रभावित हो रहे हैं जिसके कारण कुल वृक्षों की संख्या 2743 अंकित हो रही है।
9	उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डिजिटल एवं जियोरेफरेन्स मानचित्र एवं Kml file अपलोड नहीं की गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल मानचित्र ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	बिन्दु सं0–9 के अनुपालन में अवगत करना प्रस्ताव मे लगाई गई आपत्ति क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डिजिटल एवं जियोरेफरेन्स मानिचत्र एवं Kml file इस वन प्रभाग द्वारा पार्ट– I पैरा 13 में ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक–6)
10	क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण–पत्र ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में भी संलग्न करें।	बिन्दु स0–10 के अनुपालन में अवगत करना क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण–पत्र पार्ट–II मे ऑन लाईन अपलोड करते हुये इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक–7)

अतः प्रस्ताव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु ऑन लाईन आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।